FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **पंजाब नेशनल बैंक बनाम घेवरचंद** **दीवानी वाद संख्या – 71/2021(47/2012)** **सीआईएस संख्या – 601/2014**	Brief note of Compliance of Order
17.01.2025	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी दिनांकित 14.01.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किए कि न्यायालय द्वारा संशोधित जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाती है। जवाब दावा के पेरा संख्या 4 क में उज्ञात लिया गया हैं कि वादी बैंक के द्वारा वाद कथित रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा राशि का गबन करना बताकर उक्त गबन की राशि की वसूली बाबत प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वाद पेश किया गया हैं। वादी बैंक को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा किये गये कथित गबन की राशि को प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसानो से वसूल किये जाने का विधिक अधिकार नही हैं। इस कारण वादी बैंक को प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसानो से उक्त राशि को वसूल करने का अधिकार नही है। न्यायालय द्वारा उक्त संशोधित जवाब दावे के आधार पर यह तनकीयत कायम की जानी थी कि "आया वादी बैंक को प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसानो से गबन की राशि को वसूल करने का अधिकार नहीं है।'' जबकि न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2024 को अतिरिक्त विवाद्यक संख्या 5 कायम किया गया है जो निम्न प्रकार से है– आया वादी बैंक प्रतिवादी संख्या 1 मृतक घेवरचन्द के वारिसानो से वाद में वर्णित राशि 70,36,329 /– रूपये मय ब्याज वसूल करने का अधिकारी नहीं होने से वाद वादी खारिज होने योग्य हैं।" उक्त तनकीयात संशोधित जवाब दावे के अनुसार नहीं बनाई गई है। प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसानों द्वारा प्रस्तावित तनकीयात के अनुसार बनाई जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तनकीयात बनाए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का वादी पक्ष की ओर से कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नही किया गया। दौराने बहस वादी द्वारा कथन किए गए कि वादी गवाहान न्यायालय में उपस्थित है परंतु प्रतिवादी द्वारा जान–बुझकर उक्त गवाहान से जिरह नहीं करने के आशय से हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.11.2024 को जो अतिरिक्त तनकीयात विवाद्यक बिन्दू संख्या 5 विरचित की गई है वह उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विधि अनुरूप विरचित की गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। न्यायालय के द्वारा प्रस्तावित तनकीयात की सहायता तनकीयात बनाने में ली जा सकती है परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जो प्रस्तावित तनकीयात पक्षकारों ने पेश की है उसी के अनुसार ही विवाद्यक कायम किए जाए। न्यायालय द्वारा जो तनकीयात बनाई गई है उसमें वाद में वर्णित राशि मृतक घेवरचंद के वारिसान से वादी बैंक के द्वारा मय ब्याज वसूल करने का अधिकार नहीं होने के बाबत बनाई गई है। वाद में वर्णित वहीं राशि है जो की गबन की राशि है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा बिना किसी आधार के प्रकरण में विलंब कारित करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।	

	उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली, संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र में इस आधार पर न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यक दिनांक 06.11.2024 को संशोधित करवाना चाहा गया है कि उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तावित तनकीयात के अनुसार नहीं बनाई गई है तथा उनके द्वारा जो संशोधित जवाब दावा पेश किया गया है वह उसके पैरा संख्या 4 क के अनुरूप तनकी विरचित नहीं है। अतः उक्त तनकी को इस प्रकार से कायम किए जाने का निवेदन किया है कि "आया वादी बैंक को प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसानो से गबन की राशि को वसूल करने का अधिकार नहीं है।'' इस संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व संशोधित जवाब दावे का अवलोकन किया जाए तो प्रकरण में मूल वादी बैंक पीएनबी द्वारा प्रतिवादी घेवरचंद व सायरमल के विरूद्ध बैंक में गबन की गई राशि की वसूली हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जो कुल राशि 70,36,329/– रूपये होना एवं मय ब्याज वसूल किए जाने का दावा प्रस्तुत किया गया है। दौराने विचारण प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने से उसके विधिक वारिसान द्वारा संशोधित जवाब दावे के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 घेवरचंद के वारिसान के उक्त राशि ऋण राशि अथवा परिवार की निजी आवश्यकता के लिए प्रयुक्त राशि नहीं होने के आधार पर स्वयं का उसे अदा करने के दायित्व से विमुक्त होना बताते हुए संशोधित जवाब दावा पेश किया गया है। जिसके संबंध में अपने संशोधित जवाब दावे की पैरा संख्या 4 क में यह अंकित किया है कि "वादी बैंक के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वाद कथित रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा राशि का गबन करना बत्ताकर उक्त गबन की राशि की वसूली बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध पेश किया गया है। वादी बैंक को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा किये गये कथित गबन की राशि को प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसानों से वसूल किये जाने का विधिक अधिकार नहीं है। वादी बैंक के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार की आवश्यकताओं के लिए उधार नहीं दी गई हैं, ना ही प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी बैंक से उक्त राशि परिवार की आवश्यकताओं के लिए उधार प्राप्त की गई थीं, ना ही उक्त राशि प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसानों पर खर्च की गई हैं, ना ही उक्त बाबत् वादी बैंक द्वारा वाद में तथ्य अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसानों को प्रतिवादी संख्या 1 से विरासत में किसी तरह की कोई चल अचल सम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वादी बैंक प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसानों से उक्त राशि वसूल करने की अधिकारी नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई अनुतोष वादी बैंक प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसानों के विरूद्ध प्राप्त करने की अधिकारी है।'' इस प्रकार उक्त पैरा संख्या में प्रतिवादी द्वारा वादी के वादपत्र के खण्डन स्वरूप ही कथन किए है तथा उसमें वर्णित राशि में स्वयं का दायित्व नहीं होना बताया है। उक्त वाद में जिस गबन राशि का वर्णन किया गया है वह वाद वर्णित राशि ही है क्योंकि वादी द्वारा गबन की राशि हेतु ही हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है तथा विधिक वारिसानों ने उक्त राशि को वसूल किए जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं होना बताया है। न्यायालय द्वारा जो संशोधित तनकीयात विरचित की गई है उसमें न्यायालय ने यह उल्लेखित किया है कि " आया वादी बैंक प्रतिवादी संख्या 1 मृतक घेवरचन्द के वारिसानो से वाद में वर्णित राशि 70,36,329 /– रूपये मय ब्याज वसूल करने का अधिकारी नहीं होने से वाद वादी खारिज होने योग्य हैं।" अर्थात उक्त तनकीयात भी उक्त पैरा के अनुरूप ही विरचित की गई है। न्यायालय द्वारा अपने विवाद्यक में जो वाद वर्णित राशि का उल्लेख किया है वह वादपत्र, जवाब दावे से स्पष्ट है कि उक्त राशि गबन की राशि ही है। अतः ऐसी स्थिति में	

	प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित विवाद्यक के आधार पर जो संशोधन करवाना चाहा गया है उक्त संशोधन किया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तावित तनकीयात न्यायालय के द्वारा विवाद्यकों को विरचित करने में सहायता प्रदान करने के लिए ही पेश की जाती है। प्रस्तावित तनकीयात के अनुसार अक्षरशः न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित करने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। न्यायालय द्वारा जो विवाद्यक विरचित किया गया है वह उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों एवं दस्तावेजों के आधार पर ही विरचित किया गया है। न्यायालय ने वादी गवाहान से जिरह करने की बजाय हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है जो मात्र प्रकरण में विलंब कारित करने के आशय से पेश किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में चूंकि प्रकरण न्यायालय का लक्षित प्रकरण होकर के वर्ष 2012 से लंबित है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण में विलंब कारित करने के आशय से प्रस्तुत किये जाने से विलंब हेतु प्रतिवादी पक्ष पर कोस्ट राशि अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उक्त विवेचनानुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से 400/– रूपये की कोस्ट राशि पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 24.01.2025 को पेश हो। **(शालिनी शर्मा)** **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश** **संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**	